भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्य सभा

04.02.2022 के

अतारांकित प्रश्न सं. 453 का उत्तर

स्टेशन विकास शुल्क वसूलने का प्रस्ताव

453. श्रीमती छाया वर्माः
श्री राम नाथ ठाकुरः
श्री विशम्भर प्रसाद निषादः
चौधरी सुखराम सिंह यादवः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय यात्रियों से यात्री किराए के साथ-साथ रेलवे स्टेशन विकास (डेवलेपमेंट) के नाम पर भी शुल्क वसूलने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो रेलवे ने स्टेशन विकास शुल्क के नाम पर कितनी धनराशि वसूलने की योजना बनाई है; और

(ग) क्या यह नीति आम आदमी पर महामारी के दुष्प्रभाव को बढ़ाती हुई प्रतीत नहीं हो रही है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): जी नहीं, रेल मंत्रालय की सामान्य स्टेशनों से यात्री किरायों के अलावा यात्रियों से शुल्क एकत्रित करने की कोई योजना नहीं है। भारतीय रेल के कुछ स्टेशनों को पुनर्विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। पुनर्विकसित स्टेशनों पर अतिरिक्त सुविधाओं के उपयोग हेतु स्टेशनों के पुनर्विकास के पश्चात, उपनगरीय एकल यात्रा हेतु कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं लगाए जाने और उपनगरीय एवं गैर-उपनगरीय श्रेणी के लिए सीज़न टिकटों हेतु कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं लगाए जाने की योजना बनाई गई है। पुनर्विकसित स्टेशनों पर चढ़ने अथवा उतरने के लिए यात्रा की श्रेणी के आधार पर अन्य व्यक्तियों के लिए अधिकतम प्रभार और न्यूनतम प्रभार क्रमशः 5 रुपए से 25 रुपए का शुल्क लगाए जाने की योजना बनाई गई है।

******

Sk